



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035



(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 08/2026 (निरीक्षक)
Establishment Order (N.G.O) No. 08/2026 (INSPECTORS)
दिनांक 27 मार्च 2026 Dated 27th March 2026

निरीक्षकों के संवर्ग में अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण के संबंध में अपर आयुक्त, केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं. नि. प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 48/CCA/2026 दिनांक 06.03.2026 और स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 57/CCA/2026 दिनांक 11.03.2026 के परीणाम स्वरूप, स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. No. 04/2026 दिनांक 06.03.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, निरीक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित हैं:-

Consequent upon issue of EO (NGO) No. 48/CCA/2026 dated 06.03.2026 and EO (NGO) No. 57/CCA/2026 dated 11.03.2026 regarding Inter Zonal Transfers in the cadre of Inspectors by the Additional Commissioner, O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate, in partial modification to EO(NGO)No.04/2026 dated 06.03.2026, the following postings and transfers in the cadre of Inspectors of Central Tax are hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the Officer (Shri)	वर्तमान तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया स्थान Posted to
1.	पी विजया लक्ष्मी P Vijaya Lakshmi	हैदराबाद क्षेत्र से आवंटन पर On Allotment from Hyderabad Zone	गुंटूर सीजीएसटी (एल सी सी हैदराबाद के लिए) Guntur CGST (for LCC Hyderabad)
2.	अच्युत सिंगारी Achyuth Singari	हैदराबाद क्षेत्र से आवंटन पर On Allotment from Hyderabad Zone	गुंटूर सीजीएसटी Guntur CGST
3.	देबराज महाजन Debraj Mahajan	हैदराबाद क्षेत्र से आवंटन पर On Allotment from Hyderabad Zone	तिरुपति सीजीएसटी (स्थानीय निदेशालयों के लिए मु.आ.का. की ताकत के खिलाफ ऋण आधार पर) Tirupati CGST (on Loan against the strength of CCO meant for Local Directorates)

2. स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. No. 04/2026 दिनांक 06.03.2026 में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। All terms & conditions mentioned in EO (NGO) No.04/2026 dated 06.03.2026 remain unaltered.

3. अपर आयुक्त (सं. नि. प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 48/CCA/2026 दिनांक 06.03.2026 और स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 57/CCA/2026 दिनांक 11.03.2026 में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण पर स्थानांतरित सं क्र 1 से सं क्र 3 तक के अधिकारियों के संबंध में अपरिवर्तित रहेंगे

All the terms & conditions mentioned in EO (NGO) No. 48/CCA/2026 dated 06.03.2026 and EO (NGO) No. 57/CCA/2026 dated 11.03.2026 regarding Inter Zonal Transfers issued by Additional Commissioner (CCA), Hyderabad GST Commissionerate remain unaltered in respect of Officers from S.No. 01 to S.No. 3 on IZT from Hyderabad.

4. स्थानीय निदेशालयों के लिए मु.आ.का. की ताकत से तिरुपति सीजीएसटी (सं क्र 3) में तैनात अधिकारि के वेतन और भत्ते आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ), विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा आहरित किये जाएंगे और उक्त अधिकारियों के सेवा मामलों को विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा संभाला जाएगा। ऋण आधार पर तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय में तैनात अधिकारि (at S.No.3) को निर्देश किया जाता है की वे अपने

वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होने पर आयुक्त तिरुपति सीजीएटी आयुक्तालय के समक्ष आगे की तैनाती के आदेशों के लिए रिपोर्ट करेंगे।

The Pay & allowances of Officer at S.No.3 posted to Tirupati CGST Commissionerate (on loan basis against the strength of CCO meant for posting to Local Directorates) are to be drawn by the DDO, Visakhapatnam CGST Commissionerate. All service matters of such officers would be handled by Visakhapatnam CGST Commissionerate. The Officer posted on Loan to Tirupati CGST Commissionerate is directed to report to the Commissioner, Tirupati CGST Commissionerate upon relief from his present place of posting, for further posting orders.

5. निरीक्षकों के संवर्ग में प्राप्त सभी अभ्यावेदन इस स्थापना आदेश के जारी होने के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

All the representations received in the cadre of Inspector stand disposed with the issue of this Establishment Order

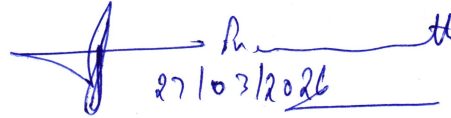
6. एलसीसी हैदराबाद में तैनात अधिकारी आधिक्षक, कैट अनुभाग, मु.आ.का (वीजेड) और उप/सहायक आयुक्त, कैट अनुभाग, मु.आ.का. (वीजेड) को रिपोर्ट करेंगे।

Officer posted to LCC Hyderabad will report to the Superintendent, CAT Section, CCO VZ and Deputy / Assistant Commissioner in charge of CAT Section in CCO VZ.

7. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

8. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

9. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.


27/03/2026

(काकराला प्रशांत कुमार/Kakarala Prasanth Kumar)
अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/10/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-Part(2)]
सेवा में

संबंधित अधिकारियों को (संबंधित आयुक्तालयों के माध्यम से)।

To

The officers concerned(through respective Commissionerates)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी/ गुंटूर सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी / हैदराबाद सीजीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।
2. मु.ले. अधिकारी / आ सं अधिकारी, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी
3. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखपट्टणम / गुंटूर / तिरुपति।
4. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST/ Guntur CGST/ Tirupati CGST /Hyderabad CGST (CCA) Commissionerate.
2. CAO / DDO Visakhapatnam CGST /Guntur CGST/Tirupati CGST
3. PAO of Visakhapatnam / Guntur/Tirupati
4. Notice Board/website/Stock file.